


134


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 147-हीन/12 जिला-सिंगरौली


रामजी कलार विरुद्ध शत्रुहन कलार व अन्य

(1)	(2)	(3)
18.12.18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री. <u>आर. के. देव पाठेय</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला <u>सिंगरौली</u> के प्रकरण क्रमांक <u>245/निग./18-11</u> में पारित आदेश दिनांक <u>29.12.11</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>7-3-19</u> को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।


D. Ramdas
Secy.

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर



R-147-III/2012

राम जी पिता भरोषा कलार, निवासी ग्राम दूधमनिया, तहसील देवसर
जिला सिंगरौली म० प्र० - निगरानीकर्ता

बनाम

- 1- शकुन्तल पिता कैलाश प्रसाद कलार, निवासी दूधमनिया, तह. देवसर
 - 2- अम्बिका पिता बैजनाथ जयसवाल
 - 3- चन्द्रिका पिता बैजनाथ जयसवाल
 - 4- हंशरनिया पिता कैलाश प्रसाद निवासी ग्राम झारा, तह. देवसर
 - 5- अंजनिया पिता कैलाश प्रसाद निवासी ग्राम सरई, तह. देवसर
- सभी का जिला सिंगरौली, म० प्र०

गैर-निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर जिला
सिंगरौली, प्रकरण क्र. 245/निगरानी/10-11
आदेश दिनांक 29.12.2011,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० भू राजस्व
संहिता 1959 ई.।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के
विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

[Signature]
D. Prasad
na.

परसकरी एवं अं.
आदि कं. गौर
पत्रों

श्री अं. देव
पत्र
दिनांक 17-1-12
दिनांक 17-1-12

[Signature]
24-1-12